

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 289/22

तारीख दायर 29/11/22

1. गीता देवी पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ भीलवाड़ा (राज.)।

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. सुल्तान मोहम्मद पिता मार्गीलाल जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 21/2/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा ग्राम नीमडीगवां पटवार हल्का चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 406/270 रकबा 0.4856 हैक्टयर भूमि स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072-2076... के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नीमडीगवां पटवार हल्का चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 406/270 रकबा 0.4856 हैक्टयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 289/22

तारीख दायर 29/11/22

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 289/22 पत्थरगढ़ी बाबत।

गीता देवी पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ भीलवाड़ा (राज.)।

.....प्रार्थीया

बनाम्


सुल्तान मोहम्मद पिता मार्गीलाल जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम नीमडीगवां पटवार हल्का चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 406/270 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। विपक्षीगण एवं पडौसी को वक्त पत्थरगढ़ी मोके पर उपस्थित रहने बाबत सुचना दी जावे। मोके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीया अदा करेगी।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ